



रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (मध्य कमान) करियप्पा मार्ग, लखनऊ छावनी -226002
Principal Controller of Defence Accounts (Central Command) Cariappa Road, Lucknow
Cantt.- 226002

कार्यालय फोन सं.-0522-2451084/कार्यालय फैक्स सं-0522-2453038

Office Phone No.-0522-2451084/Office Fax No.-0522-2453038

Email ID - pcdaccan1a@gmail.com

FAX/e-mail/Speed Post



संख्या : प्रशा/1अ/1004/DAD(SAS)OA

दिनांक 29/03/2022

सेवा में

प्रभारी अधिकारी, सभी अधीनस्थ कार्यालय (All Sub Offices of Organization)
मुख्य कार्यालय, लखनऊ के सभी अनुभाग (All Sections of Main Office)
क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ (Regional Training Centre, Lucknow)
एकीकृत वित्तीय सलाहकार (मध्य कमान) लखनऊ (IFA (CC), Lucknow)

विषय : सी.सी.एस. (आर.एस.ए.) नियम 1993 के तहत DAD (SAS) Officers Association की सदस्यता के लिए कर्मचारियों द्वारा अधिकारियों द्वारा विकल्प का प्रयोग और वर्ष 2022-23 के लिए अंशदान की वसूली

SUB : Exercising of option by the members of DAD (SAS) Officers Association for Association membership under the CCS (RSA) Rules 1993 and recovery of subscription for the year 2022-23

मुख्यालय कार्यालय के दिनांक 17.03.2022 के पत्र सं AN/VI/17003/SAS (Officers) Association/2022-23 के द्वारा यह सूचित किया गया है कि DAD (SAS) Officers Association को MoD/D(JCM)Dy.No.1613-D(JCM)/2018 dt. 12.12.2018 के द्वारा दिनांक 12.12.2018 से मान्यता मिली है।

As per HQs letter No. AN/VI/17003/SAS (Officers) Association dt. 21.02.2019 DAD (SAS) Officers Association has been recognized w.e.f. 12.12.2018 vide MoD/D(JCM)Dy.No.1613-D(JCM)/2018 dt. 12.12.2018.

अतः कटौती वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये की जानी है।

The recovery shall be made for the financial year 2022-23.

2. डी.ओ.पी.टी. के ओ.एम. संख्या 2/10/80-JCA दिनांक 31 जनवरी 1994 के पैरा 2.2, 2.3 एवं 2.5 के अंतर्गत अधिकारियों के द्वारा संघ की सदस्यता का विकल्प का प्रयोग प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में किया जा सकता है एवं सदस्यता अंशदान की कटौती डी.डी.ओ. द्वारा जुलाई माह में की जा सकती है।

2. As per para 2.2, 2.3 & 2.5 of DoPT OM No. 2/10/80-JCA dated 31st January 1994, option for Association membership can be exercised by the officers in the month of April each year and recoveries of membership subscription shall be made by the DDO in the month of July.

3. प्रत्येक अधिकारियों जो DAD (SAS) Officers Association का सदस्य बनने का इच्छुक उसे लिखित में अपनी सहमति संलग्न नमूना प्रारूप में देना होगा।

3. Every officer desiring to become a member of DAD (SAS) Officers Association, has to give in writing his/her consent as per the specimen format enclosed.

4. जो अधिकारियों अपनी सदस्यता उसी संघ में जारी रखना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने पिछले वर्ष सहमति दी थी उन्हें इस वर्ष अर्थात् 2022-23 में किसी भी फार्म को भरने की आवश्यकता नहीं है और निर्धारित अंशदान की कटौती उनके पिछले विकल्प के अनुसार की जाएगी।

4. The officer who wish to continue their membership of either of the two recognized staff association for which consent had been given last are not required to fill any form this year i.e. 2022-23 and the prescribed recovery will be effected on the basis of the option excersied last.

5. स्टाफ के सदस्य निम्नलिखित स्थितियों पर अपनी वर्तमान सदस्यता को बदल सकते हैं:-

5. Member of the staff may change their present status on the following conditions:-

- i) किसी भी संघ के सदस्य नहीं है और किसी संघ के सदस्य बनना चाहते हैं।
- i) Not being a member of either Associations or desiring to become members of an Association.
- ii) किसी भी संघ के सदस्य हैं और अपनी सदस्यता समाप्त करना चाहते हैं।
- ii) Being a member of either of the Association and wanting of discontinue the membership altogether.
- iii) किसी संघ के सदस्य हैं और किसी और संघ के सदस्य बनना चाहते हैं।
- iii) Being a member of an Association and wanting to become a member of the other association.

यदि उक्त वर्णित बिन्दु (iii) के कारण विकल्प प्रपत्र भरा जाए तो अन्य संघ की सदस्यता समाप्त करने का विकल्प प्रपत्र भरना अनिवार्य है। यदि सदस्यता बदलने हेतु विकल्प प्रपत्र के साथ अन्य संघ की सदस्यता समाप्त करने का विकल्प प्रपत्र नहीं पाया गया तो उसपर विचार नहीं किया जाएगा। नए विकल्प का प्रयोग दिनांक 01/04/2022 से 30/04/2022 तक ही कर सकते हैं।

In case of option form being filled for reason at point (iii) above, the form declaring withdrawal for membership of the other Association is mandatory. In such a case, if a change is recovered without such withdrawal form, the option form will not be considered. Fresh option has to be exercised w.e.f. 01/04/2022 to 30/04/2022.

6. अधिकारियों द्वारा विधिवत भरे गए प्रपत्रों को संबंधित संघ के अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, जिसके लिए सदस्यता लेने का प्रपत्र भरा गया है। उन कार्यालयों/स्टेशनों के संबंध में जहाँ कोई शाखा संघ कार्य नहीं कर रहा है, उस विशेष कार्यालय/स्टेशन में कार्यरत संघ का समन्वय निकाय विकल्प प्रपत्र को प्रमाणित कर सकते हैं। ऐसे स्टेशनों में जहाँ संघ का समन्वय निकाय भी काम नहीं कर रहा है, वहाँ संघ मुख्यालय द्वारा अधिकृत/नामित व्यक्ति प्रपत्रों को प्रमाणित करेंगे।

6. The forms duly filled in by the officers have to be authenticated by the authorized functionary of the concerned Association for which the membership is proposed to be taken. In respect of offices/stations where no Branch Association is functioning, coordination body of the Association functioning in that particular office/station shall authenticate the option forms. In stations where even the coordinating body of the Association is not functioning, the person authorized/nominated by the HQrs Association shall authenticate the option forms.

7. श्री विजय कुमार लेखा अधिकारी/8332145, को इस संघ सदस्यता विकल्प की पूरी प्रक्रिया के लिए नामित किया गया है तथा मुख्य कार्यालय हेतु अंकित विकल्प प्रपत्र अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी एवं स्वीकार किए जाएंगे एवं उप कार्यालयों में प्रभारी अधिकारी समस्त विकल्प प्रपत्र जारी एवं स्वीकार कर

अहस्ताक्षरी को त्वरित डाक/गोपनीय द्वारा प्रेषित करें ताकि दिनांक 27/04/2022 तक इस कार्यालय को प्राप्त हो सके।

7. Shri Vijay Kumar Accounts Officer/8332145, has been nominated for dealing with the entire process of exercising option and will be responsible for issuing the numbered option forms to the individuals and for accepting the completed forms in case of Main Office, PCDA (CC) Lucknow and in case of sub-offices, the officer-in-charge will collect all forms and forward them to the under-signed under Speed Post/Confidential cover so as to reach latest by 27/04/2022.

8. उप कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी को सौंपी गई जिम्मेदारी को प्रभारी अधिकारी द्वारा किसी अन्य अधिकारी को नहीं सौंपी जा सकता है और पूरी प्रक्रिया के दौरान सख्त निष्पक्षता का पालन करना चाहिए। किसी भी संघ हेतु पक्षपात के लिए प्रभारी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

8. The responsibility entrusted to the officer-in-charge of sub offices should not be delegated by the officer-in-charge to any official and strict neutrality must be observed during entire exercise. It will be the personal responsibility for favoritism to either of the Association.

9. एक बार विकल्प प्रयोग करने एवं अधोहस्ताक्षरी या प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करने के बाद वह वर्ष 2022-23 के लिए अंतिम माना जाएगा।


9. The option once exercised and submitted to the undersigned & officer-in-charge of sub offices shall be final for the year 2022-23.

कृपया पावती प्रेषित करें।

Please acknowledge receipt.

संलग्नक : यथावर्णित

Encl : As above


(पंकज उपाध्याय)
संयुक्त नियंत्रक